संख्या- 31/1877/71-1-2014-जी-564/2012

प्रेषक,

शैलेन्द्र नाथ शुक्ल,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 29 अक्टूबर, 2014

विषय:- मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में दंत चिकित्सक के पद के स्थान पर डिमांस्ट्रेटर का एक पद सृजित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0-1/क/2014/983, दिनॉक 31-03-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के लिए शासनादेश संख्या-1651/71-1-2013-जी-584/2012, दिनॉक 22-01-2014 के द्वारा सृजित किये गये दंत चिकित्सक के एक पद को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर डिमांस्ट्रेटर के एक अस्थायी पद वेतन बैण्ड रू0 15600-39100 व ग्रेड पे रू0 5400 में दिनॉक 28-02-2015 तक के लिए बशर्ते कि इस पद को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- इस सृजित पद पर चयन/नियुक्ति शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार नियमानुसार की जायेगी।

3- शासनादेश संख्या-1651/71-1-2013-जी-584/2012, दिनॉक 22-01-2014 को निरस्त समझा जाय।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-05-चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण और अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0324-राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-3-2316/दस-2014, दिनॉक 29 अक्टूबर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 31/1877(1)/71-1-2014 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- कोषाधिकारी, आजमगढ़।

3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।

4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आजमगढ़।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (दो-दो प्रतियों में)।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7- नियोजन विभाग-4/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in